

फर्द अहकाम

सुखदेव बनाम राजस्थान सरकार वगैरे

दि संख्या: 285/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक वितरण
10.10.2024	<p>तकील जारी के साथ मान्य प्रोगणा व इन्दा वूरती एवं रणार्थ विपेक्षाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट शरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्राचली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 08.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p>कोर्ट, 11/11/24 346-56 18/10/24</p>
8/11/24	<p>पत्राचली पेश हुई। पीओओ सह अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्राचली के पूर्वानुसार दिनांक 13/12/24 को पेश हो।</p>	
13/12/24	<p>पत्राचली पेश हुई। पीओओ सह अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्राचली के पूर्वानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।</p>	
20/12/24	<p>पत्राचली पेश हुई। जारी अतिवृत्त एवं जारीगण के उपाय नारीगण ने न्यायलय में उपाय लेकर वाद को आगे नहीं चलाने का निर्णय किया। नारीगण का वाद नोटिफिकेशन व नारीगण द्वारा कराये गये। चलाने का तलब अंकित रिपोर्ट में के आशय पर उपाय किया गया है। पत्राचली के उपाय ले कर उपाय गानर वाद तलबील शरिस्ता उपर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p>20/12/24 दिनांक 20/12/24 वाद को आगे नहीं चलाने का निर्णय किया है।</p>